भारतीय खाद्य निगम द्वारा यंजाब में गोदामों का बनाया जाना

3327. श्री विनोद शर्मा: न्या खाछ गंती यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह मच है कि भारतीय खाद्य नियम ने पंजाब में अनेक गोदाम बनाएहैं;
- (श्व) यदि हां, तो वतंमान वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरात इन गोदामों की भंडारण क्षमना कितनी हैं;
- (ग) क्या यह भी सच है कि निगम ने सनेक गोडाम किराए पर लिए हैं;
- (घ) यदि हा, तो सरकारी घौर निजी क्षेत्र में घनग-श्रलग कितने-कितने गोदाम किराए घर लिए गए हैं घौर प्रत्येक मामले में भंडारण क्षमता कितनी-कितनी है;
- (ङ) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्रोर निजी क्षेत्र से किराए पर लिए गए गोदाभों के लिए क्रलगं-क्रलगंदरों पर किराए का भृगतान किया जाता है; यदि हा, तो किराए की दरें कितनी-कितनी हैं;
- (त्र) क्या यह भी सच है कि कियम के अनेक गोदामों की भंडारण क्षमता का पूरी तरह इस्तमाल नहीं किया का रहा है; और
- (छ) यदि हाँ, तो उसका व्योश क्या है ग्रीर गोदामों की भंडारण क्षमता का किस हद तक इस्तेमाल नहीं किया का रहा है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण भंतालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमदे) (क) में (घ) एक विवरण मंत्रग्न है जिसमें 1-4-1992 को स्थिति के अनुसार खाद्य निगम के पास पंजाब राज्य में उपलब्ध गोदामों की संख्या और उनकी कुल भण्डारण क्षयता (अपनी और किराये की) का ब्यौरा दिया गया है । (मीचे देखिए)।

- (ङ) प्राक्ष्वेट गोदाम किराये पर लेने के लिए भारतीय खाद्य निगम के अंदीय प्रमुखों को एक वर्ष की भवधि के लिए 60 पैसे प्रति वर्ग प्रति फुट मास की दर से किराया निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं श्रीर ग्रांचलिक प्रमुखों को गुण-दोष के ग्राधार पर प्रस्ताकों की जांच करने के बाद 60 पैसे से भी श्रष्टिक किराया निश्चित करने की पूरी शक्तियां प्रदान की गर्ट हैं। राज्य सरकार के गोदामों को देय किराया स्थानीय गोदामों के किराय के तुल्य होता है । क्षेतीय ग्रौर ग्रांचलिक प्रमुख ये दरें निश्चित करने के लिए सक्षम होते हैं । केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदासों के लिए किराये की देय दर 95 किलोग्राम के बजन की प्रत्येक बोरी के लिए 1.00 रुपया प्रति मास है । केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों के लिए देय किराये की दर राज्य भण्डारण निगम के उन गोदामों पर भी बराबर लागु होती है जो केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदासी के तुलकीय मानकों के श्रनुरूप उपलब्ध होने हैं।
- (च) श्रौर (छ) पहली जुन, 1992 को स्थिति के अनुसार, पंजाब राज्य में इकी हुई कुल भण्डारण क्षमता (ग्रपनी ग्रीर किराये की) का श्रीसत उपयोग 83 प्रतिशत था जबकि भारतीय खाद्य निगम के ग्रपने (ढकेहए) गोदामों का क्षमता उपयोग लगभग 78 प्रतिशत था । भारतीय खाश निगम के अपने गोदामों का उपयोग न केवल भारतीय खाद्य निगम के कुछेक प्रपते गोदामों में कभी-कभी हैंडलिंग मजदूरी द्वारा श्रौद्योगिक संबंधों के बारे में उत्पन्न की गई समस्यात्रों के कारण बल्कि इस तथ्य के कारण भी कि विभिन्न गोदामों के उपयोग वस्ली मौसम के दौरान वस्सी की माता ग्रौर भारतीय खाद्य निगम के लिए मंडियों के ब्रावंटन के साथ सम्बद्ध की जाती है श्रीसत उपयोग की तुलना में मामुली कम है।

विवरण

1.4.1993	की वि	स्यति के	अनुस	तर भारती	व खारा	नि	गम के	THE .	ria
राज्य म	उपलब्ध	गादामा	का	सज्या झीर	उनकी	कुल	भण्डारण	Suan	(शक्त
भ्रौर किराये	की) का	म्यौरा ब	ताने व	ाला विवरण	T	•		•••	(214-11

	गोदामों की संस्था	भण्डारण क्षमता (लाख मीटरी टन में)
I क्ही हुई		
(1) भारतीय खादा निगम की ग्रपनी	104	9A #0
(2) निम्नलिखित से किराये पर ली गई		20.52
(i) सरकारी क्षेत्र	70	7. 37
(राज्य सरकार संद्वित) .		7.37
(li) प्राइवेट पीटियां .	83	15.5
जोड़ (डकी हुई) :	257	43.4:
ि भैप		
(क्र) मारतीय खाद्य निगम की भ्रपनी	74	4.01
(1श्र) किराए की ^क	38	3,9 (
जोड़ कैय इ	112	7.91
कुल जोड़:	369	51.3

^{*}सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट पार्टियों में किराए पर ली गई क्षमता का अलग-ग्रलग ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।